[8/3/2021]

तारांकित प्रश्न क्0 2549 प्रश्न सं. [क्र. 2549] **परिशिष्ट "अ"**

नगर पालिका अधिनियम 1956 धारा 264 के अनुसार नगरीय़ निकाय सागर की सीमाओं के भीतर दुग्ध उत्पादक पशुपालन निषेध है। पशु नियंत्रण आदेश का प्रकाशन म.प्र. राज्य पत्र 2002 दिनांक 01.06.2012 अनुसार कलेक्टर सागर द्वारा जारी अधिसूचना में दुग्ध व्यवसाय पशुओं को नगर सीमा के बाहर कर 33 ग्रामों में पशुओं को रखने हेतु चिन्हित किया गया ।

आयुक्त सागर संभाग सागर की अध्यक्षता में पशु प्रजनन प्रक्षेत्र रतौना जिला सागर में गौकुल ग्राम तथा डेयरी स्टेट की स्थापना के संबंध में दिनांक 06.07.2017 एवं 23.08.2018 को आयोजित बैठक में रेलवे लाईन की उस पार की 252 एकड़ भूमि में से रेलवे की 15 एकड़ भूमि को छोड़कर शेष 236.70 एकड़ भूमि पर डेयरी स्टेट की स्थापना का निर्णय लिया गया था। बैठक में लिए गय निर्णय अनुसार भूखण्ड आवंटन के लिए कलेक्टर सागर की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी जिसमें आयुक्त नगर निगम सागर, म.प्र.राज्य पशुधन एवं कुक्कूट विकास निगम तथा उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाऐं सदस्य होंगे। डेयरी स्टेट की स्थापना हेतु तैयार किया गया डी.पी.आर. नक्शे तथा संक्षेपिका आदि आयुक्त नगर निगम सागर को सौंपे गये है। डेयरी स्टेट का कार्य आयुक्त, नगर निगम सागर के द्वारा किया जाना है।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
पशुपालन एवं डेयरी विभाग